न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अध्यासीन अधिकारी :– पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–102/2018

1. सोहनलाल पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवाल साकिन 6 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— वादी

बनाम

1. विद्या देवी पत्नी श्री नेबूराम जाति नायक निवासी 14 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक–15.01.20

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादिया संख्या 01 के नाम से चक 14 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं0 2 पत्थर नं0 257/391 के किला नं0 1ता6 में 1.518 हैक्टर रकबा मुश्तरका खातेदारी है। जिसमें वादी का 0.222 हैक्टर, प्रतिवादिया संख्या 01 का 1.296 हैटक्र रकबा खातेदारी है, जो मुश्तरका खाता है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 अपने हिस्से अनुसार अपने रकबा पर क़ाबिज है। रकबा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता में है। उपरोक्त वर्णित संयुक्त खाता में मात्र 0.222 हैक्टर रकबा है जो एक लघु कृषि भू–भाग है। प्रतिवादी संख्या 01 जो कि सहखातेदार है, उसके साथ संयुक्त खाता में रहकर भूमि की सिंचाई सुविधा करना, भूमि को काश्त वगैरह करने से काफी असुविधा तथा कठिनाई होती है। यह कि संयुक्त खाता होने के कारण वादी अपने रकबा में सुधार कार्य नही कर सकता। क्योंकि संयुक्त खाता होने के कारण हर समय भूमि मे काश्त के लिये नौक झौंक व भमि में आने जाने मे एतरज चलता रहता है। संयुक्त खाता होने के कारण मामला नहरी व माली भरवाने में भी दिक्कते पेश आती है। वादी द्वारा प्रतिवादिया संख्या 1 को कई बार संयुक्त खाता की कृषि भूमि का किला वाईज बंटवारा बढ़िया से बढ़िया तथां घटिया से घटिया एवं रास्ता, खाला आदि को ध्यान में रखते हुए दिनांक 20.09.2018 को निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादिया संख्या 1 स्पष्ट इंकार हो गयी, यही वाद कारण है। प्रतिवादिया संख्या 1 सहखातेदार है जो कि बिना विभाजन करवाये उक्त उत्तम उपजाउ भूमि को विक्रय करने पर उतारू है। इसलिए वाद पेश है। अतः उक्त भूमि का बंटवारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादिया संख्या 1 जरिये अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया जाकर वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण वादी का वाद निरस्त फ़रमाये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी 2 अनुपस्थित। न्यायालय की राय में यह साबित है कि प्रतिवादी संख्या 02 को समन की तामील सम्यक् रूप से की गई है, परन्तु सम्यक् तामील के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 न्यायालय के

Scanned by CamScanner

समक्ष उपसंजात नही है। अतः जहाँ तक प्रश्न प्रतिवादी संख्या 2 का है, न्यायालय सि.प्र. सं. 1908 के आदेश 9 के नियम 6(1)(क) के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तदोपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप वादग्रस्त भूमि के विभाजन का प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार चक 14 एपीडी–ए के पत्थर नं0 257/391 मुरब्बा नं0 1ता6 कमाण्ड भूमि विद्या देवी पत्नी नेबूराम कौम नायक साकिन 14 एपीडी 1.296 हैक्टर, सोहनलाल पुत्र मनीराम 0.222 हैक्टर कौम मेघवाल साकिन 6 एनपी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर किला नं. 1 में विद्या देवी की पक्की ढाणी बनी हुई है। इसी मु0नं0 2 के किला नं0 21ता25 रास्ता है। जबकि इससे ऊपर वाले मुरब्बा नं0 में किला नं0 21ता25 रास्ता चलता है। मौके पर सोहनलाल पुत्र मनीराम कौम मेघवाल किला नं0 6 में काश्त करता है। उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से है –

1. विद्या देवी पत्नी नेबूराम कौम नायक साकिन 14 एपीडी खातेदार का हिस्सा– चक 14 एपीडी का मु0नं0 257/391 का किला नं0 1ता4 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, किला नं. 5 का 0.240 व किला नं. 6 का 0.044 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.296 हैक्टर कमाण्ड
2. सोहनलाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल साकिन 6 एलएनपी तहसील गंगानगर खातेदार का हिस्सा –चक 14 एपीडी का मु0नं0 257/391 का किला नं. 5 का 0.013 व किला नं. 6 का 0.209 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.222 हैक्टर कमाण्ड

उक्त विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 को पढकर सुनाया गया एवं समझाया गया जिन्होने उक्त विभाजन प्रस्ताव को उचित एवं सही होना स्वीकार किया। उपर्युक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद–वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

अतः तहसीलदार (भू अभिलेख) अनूपगढ़ के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.12.2019 के अनुसार वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य उपरोक्तानुसार किलावाईज विभाजन किया जाता है। तदनानुसार तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के निर्णयानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य वादपत्र में वर्णित उनकी संयुक्त कृषि भूमि का विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादी 01 के नाम से विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **15.01.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner